ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

महिलाओं का पारिवारिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा

शिल्पिका तिवारी, शोधकत्री (शिक्षा), ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय,
shilpikatewari@gmail.com

डॉक्टर मंजू शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, (डीन, शिक्षा विभाग) कमंदण्मकन/रअूनण्ंबण्पद ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय

सार

मेरे शोध का विषय, **महिलाओं का पारिवारिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण और शिक्षा** है। मेरे शोध के उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का उनकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर अध्ययन करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण का उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर अध्ययन करना। अध्ययन के निष्कर्ष यह थे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के स्तर और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण अंतर है। वर्तमान अध्ययन से संकेत मिलता है कि महिलाओं को अपनी विभिन्न शिक्षा समस्याओं के समाधान खोजने और अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति बनने के लिए प्रोत्साहित और निर्देशित किया जाना चाहिए। महिलाओं को तार्किक रूप से और गंभीर रूप से सोचने के लिए सिखाया जाना चाहिए की सशक्तिकरण के लिए शिक्षा ही इकमात्र तरीका है क्योंकि शिक्षा से ही पारिवारिक, सामाजिक विकास किया जा सकता है और महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है।

महिलाओं को घर, समाज और उनके समुदाय में अच्छी तरह से समायोजित करने के लिए अध्ययन उपयोगी होगा। यह अध्ययन परिवारों के लिए मददगार होगा, वे अपनी महिलाओं की समायोजन समस्याओं को समझेंगे और उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे।

मुख्य शब्दावली . सशक्तिकरण, समायोजन, पारिवारिक, सामाजिक ।

शिक्षा का अर्थ

शिक्षा हम सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर, लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रुप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। हममें से कोई भी जीवन के हरेक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता।

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

यह मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधाराओं को हटाती है। यह लोगों की सोच में सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। बचपन में ही हमारे माता–पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके अखबारों को पढ़ना, टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना आदि हैं। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। यह समाज में बेहतर पद और नौकरी में कल्पना की गए पद को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। ''जब उद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण होता है, तो रचनात्मकता खिलती है, जब रचनात्मकता फूलती है, सोच निकलती है, जब सोच निकलती है, ज्ञान पूरी तरह से जलाया जाता है, जब ज्ञान जलाया जाता है, तो अर्थव्यवस्था फूलती है''। **अब्दुल कलाम** ने अपनी पुस्तक **इंडोमेबल स्पिरिट** में कहा है।

शिक्षा की परिभाषाएँ

समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतिकारों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा सम्बन्धी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं –

1 शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है।

(महात्मा गांधी)

2 मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

(स्वामी विवेकानन्द)

3 शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्त्वों का निर्वाह कर सके।

(जॉन ड्यूवी)

4 शिक्षा, व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है।

(जिद्दू कृष्णमूर्ति)

शिक्षा के उद्देश्य

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

सर पर्सी नून (1870–1942) जैसे शैक्षिक विचारक इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास है। महान राष्ट्रों की प्रगति व्यक्तियों के कारण होती है। इसलिए व्यक्तित्व को पूर्णता के लिए पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। एडम्स यह भी कहते हैं कि शिक्षा आत्म–साक्षात्कार के लिए एक की मदद करने का प्रयास है। शिक्षा व्यक्तियों के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण है ताकि उनमें से प्रत्येक में निहित चारित्रिक क्षमता का विकास हो सके। सभी को एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता है और सभी के लिए इस तरह की समान शिक्षा बेकार और निरर्थक है।

शिक्षा बच्चों को तेजी से बढ़ते ज्ञान के साथ तालमेल रखने और उन्हें ज्ञान की खोज करने में मदद करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। प्राचीन शिक्षा ने मानसिक विकास पर जोर दिया। अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता था। इसके विपरीत, आधुनिक शिक्षाविदों ने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे विकास के अन्य पहलुओं पर समान रूप से जोर दिया। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करना और सामाजिक दक्षता और गतिशीलता प्राप्त करना है। शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तिगत के साथ–साथ सामाजिक भी शामिल हैं।

शिक्षा के उद्देश्य : सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक परिवर्तन पर जोर देना, समाज को आधुनिक बनाने के लिए उत्पादक सहभागी, मूल्य उन्मुखता और राष्ट्र के संवैधानिक दायित्वों के लिए प्रतिबद्धता है।

भारत में महिला शिक्षा

किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहां की महिलाओं का शिक्षित होना जरुरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भांति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करती है और उसे फिर से सेहतमंद बनने में मदद करती है। महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित बनाने में। शिक्षित महिला उस तरह का औजार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर अपने हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के पीछे शिक्षित महिला का अमूल्य योगदान होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अनपढ़ महिला का जल्द ही विवाह कर दिया जाता है और वे जल्दी ही बच्चों को जन्म दे देती है। शिक्षित महिला, ऐसा कदम सोच समझ कर उठा सकती है जिससे देश की बढती हुई जनसँख्या पर भी रोकथाम लगायी जा सकती है। पौराणिक काल के भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध था परन्तु मध्यकालीन युग के आते आते महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। हालाँकि अगर हम आज की बात करे तो लोग महिलाओं की शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक हो चुके है और यह अच्छी तरह समझते है कि बिना महिलाओं के शिक्षित हुए देश और समाज विकास नहीं कर सकता। यह तथ्य सत्य है की महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही देश को हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकसित कर सकते है। महिलाओं की शिक्षा समाज में महिलाओं की स्थिति के परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। शिक्षा भी परिवार के भीतर महिलाओं की स्थिति में सुधार के साधन के रूप में, असमानताओं और कार्य में कमी लाती है। सभी स्तरों पर महिलाओं की

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने में लिंग पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, विशेष रूप से राज्य में महिलाओं के लिए भी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। महिलाओं को भी पुरुषों की तरह शिक्षा संबंधी गतिविधियों में बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षा से जुडी किसी भी तरह की कार्यवाही से दूर रखना क्रूरता के समान है। हमारे देश की आधी जनसँख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ

सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जो महिलाओं में शक्ति पैदा करती है। जब वे सीमाओं और प्रतिबंधों के बिना उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने में सक्षम होती हैं तो उसे महिला सशक्तिकरण कहते हैं। अपने निर्णय लेने का अधिकार महसूस करने से सशक्तिकरण की भावना पैदा होती है। सशक्तिकरण में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की स्थिति बढ़ाने, जागरूकता बढ़ाने, साक्षरता और महिलाओं को प्रशिक्षित करने और महिलाओं को समाज में विभिन्न समस्याओं के माध्यम से जीवन का निर्णय लेने की अनुमति देने का कार्य शामिल है। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य निर्भरता और अभावों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति से महिलाओं की मुक्ति है। अक्सर लैंगिक समानता का पर्याय महिला सशक्तिकरण को माना जाता है परंतु महिला सशक्तिकरण एक वृहत अर्थ वाला शब्द है जिसको गहराई के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि नारी सशक्तीकरण के द्वारा ही नारियों का विकास किया जा सकता है और नारी सशक्तिकरण से नारियों का, समाज का ,परिवार का, राष्ट्र का, विकास किया जाता है।

महिला सशक्तिकरण के प्रकार

महिला सशक्तिकरण को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है क्योंकि यह महिलाओं के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंधित होता है जैसे–

1 व्यक्तिगत सशक्तिकरण

व्यक्तिगत सशक्तिकरण का अर्थ है कि एक महिला को बिना किसी बंदिशों के अपने विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत सशक्तिकरण आत्मविश्वास, ज्ञान, शक्ति, स्वतंत्र निर्णय निर्माण प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों, सामाजिक स्थितियों तथा संविधान द्वारा प्राप्त सुविधाओं का ज्ञान होना चाहिए तभी वह व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो सकती है।

2. सामाजिक सशक्तिकरण

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है कि समाज में महिलाओं तथा पुरुषों को समान महत्व व सम्मान दिया जाए। सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लैंगिक समानता है। आज भी समाज में लड़के और लड़कियों में अंतर समझा जाता है। लैंगिक समानता को अपनाकर महिलाओं की स्थिति को समाज में बढ़ाया जा सकता है। लैंगिक समानता का तात्पर्य है कि समाज में महिलाएं और पुरुष समान अवसरों, समान परिणामो, समान अधिकारों, समान निर्णयो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं को सामाजिक कार्यों में स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिवार भेदभाव और लैंगिक अन्याय पैदा करने वाली पहली एजेंसी है। घरेलू सशक्तीकरण का संबंध परिवार या घरों में महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता से है। माता–पिता के साथ–साथ ससुराल में भी दोनों जगह, ड्रेसिंग, भोजन की आदतें, आंदोलनों के लिए जगह आदि से संबंधित कई परंपराएं और रिवाज हैं जो भेदभावपूर्ण हैं और घरेलू सशक्तीकरण, घरेलू जीवन में महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है।

3. कानूनी सशक्तिकरण

कानूनी सशक्तिकरण का अर्थ है कि कानून के द्वारा महिलाओं को बहुत सी सुविधाएं व अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उनके हित में विभिन्न कानून बनाए गए हैं। सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि महिलाएं उन सभी अधिकारों व सुविधाओं के प्रति जागरूक हो ताकि उनके साथ हो रहे शोषण को रोका जा सके। कानूनी सशक्तिकरण के तहत वास्तव में जो कानून उनके लिए बने हैं और जिसका वह उपयोग करती है के मध्य अंतर को समाप्त किया जाता है। आज भी समाज में बहुत सी ऐसी नारियां हैं जिन्हें संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए अधिकारों, संरक्षणो की जानकारी नहीं है जिसके अभाव में वे शोषित होती रहती है।

4. राजनीतिक सशक्तीकरण

राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है तथा भागीदारी के साथ साथ उनके विचारों तथा निर्णयो का सम्मान भी करती है। इस हेतु भारतीय संविधान में महिलाओं के हित में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न अनुच्छेद बनाए गए हैं जो निम्नलिखित है–

- अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता,

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से इनकार नहीं करेगा। भारत के क्षेत्र में कानूनों का समान संरक्षण किया जाएगा। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं दिया जाएगा।

- अनुच्छेद 16 (2)

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

अवसरों की समानता

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को राज्य क्षेत्र में धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता से इनकार नहीं कर सकता।

- अनुच्छेद 23

यह अनुच्छेद नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 39

नागरिक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है।

- अनुच्छेद 40 (73 वें संशोधन के पश्चात)

पंचायतों में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

- अनुच्छेद 42

राज्य , मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधानों को पूरा करेगा।

- अनुच्छेद 51 (।)

प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों में महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। सरकारी कानूनों और उसके बाद के संशोधनों ने महिलाओं को समाज में उनके सम्मान के संबंध में बड़ा विकास किया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में कहा गया है कि महिलाओं को पैतृक सपत्ति या समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान हिस्सेदारी मिलती है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण, महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, क्योंकि यह महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता देता है। भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण ने 1952–57 की पहली संसद में 1996 के चुनाव में केवल 4.4 : महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ काफी प्रगति की है। हालांकि, राज्यसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अधिक सुधार दिखाया गया है। 1991 में 7.7 : से बढ़कर 1991 में जव 15.5 : हो गया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33: आरक्षण के अलावा निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

5.महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

उनको समाज में उचित व सम्मानजनक स्थिति पर पहुँचाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरम्भ किये हैं जो अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं के आत्म सम्मान, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषण करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से स्थापित महिलाएं आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम हैं। वे आगे आ रहीं हैं और अपने परिवारों, अन्य महिलाओं और समाज के लिए शांति और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित कर रही हैं। हम आश्वस्त हैं कि महिला सशक्तीकरण और समाज के सभी क्षेत्रों में समानता के मूल में उनकी पूर्ण भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी और सत्ता तक पहुंच सहित, समानता, विकास और शांति की उपलब्धि के लिए मौलिक हैं।

महिलाओं को कैसे सशक्त करें?

सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका शायद विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को इंगित करना है। प्रो. अमर्त्य सेन ने विकास की बात को अधिक व्यापक रूप से लिया, क्योंकि विकास यानी जीवन निर्वाह और आत्मसम्मान और स्वतंत्रता देने की क्षमता। विकास, विस्तार की प्रक्रिया के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, भूख, शोषण, भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्ति और यह सुनिश्चित करता है आत्म विश्वास की भावना को संक्रमित करता है और हिंसा के खिलाफ खड़े होने की ताकत प्रदान करता है। डॉ. नोएलेन हेइजर, (यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमन) के कार्यकारी निदेशक ने मुख्य रूप से लिंग के आधार पर विकास प्रभावशीलता पर क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए हिंसा, गरीबी और भेदभाव को समाप्त करने के लिए परिवर्तन के एक अधिनियम में सम्पूर्ण विकास की प्रभावशीलता देखी। आर्थिक स्वतंत्रता, विकास सशक्तिकरण के मूल आधार है। जबकि विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान करती है और गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा आदि के चंगुल से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करती है। आर्थिक स्वतंत्रता आत्मविश्वास को जगाती है और अपने भविष्य के बारे में सोचने की शक्ति प्रदान करती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण

प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला की स्थिति–सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। शुरुआती वैदिक काल में वे बहुत ही शिक्षित थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मैत्रयी जैसी महिला संतों के उदाहरण भी हैं। सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधु, सती प्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के सामाजिक–राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा के अधिकार, काम करने के अधिकार और खुद के लिए फैसला करने के अधिकार उनसे छीन लिए गए। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के दौरान भी कुछ ऐसा ही था लेकिन ब्रिटिश शासन

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में लेकर आया। भारत के संविधान ने महिलाओं को समान सामाजिक और राजनीतिक दर्जा देकर, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया। संविधान की समान स्थिति का मतलब था कि प्रत्येक वयस्क महिला, जो भी उसकी सामाजिक स्थिति, या उपलब्धियों हो, को राष्ट्र निर्माण के कार्य में एक नागरिक और व्यक्तिगत भागीदारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तिकरण के अपवाद के साथ, महिलाओं के निम्नलिखित पहलू ने सशक्तिकरण को महत्व दिया जैसे

1 लोकतंत्र में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी (राजनीतिक सशक्तिकरण)

2 लड़कियों की शिक्षा (सामाजिक सशक्तीकरण)

3 रोजगार में लिंग बाधाओं का उन्मूलन (आर्थिक सशक्तीकरण)

4 भूमि अधिकार और कानूनी मशीनरी (कानूनी अधिकार)।

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिकाः

देश की प्रगति में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं की भागीदारी अत्यावश्यक है। संसार के सृजन एवं संचालन में नारी का स्थान पुरुष से बढ़कर है। पुरुष ने तो मात्रा बीज को संजोकर शिशु को जन्म दिया। उसे पाल–पोस कर समाज की भावी सदस्य बनाया नारी ने। इस सृजन और पालन की प्रक्रिया में नर से नारी का अंशदान कहीं श्रेष्ठ है। समाज में सभी क्षेत्रों में पुरुष और महिला दोनों को लिए बराबरी में लाना होगा। देश, समाज और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण बेहद जरूरी है। महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त पर्यावरण की जरूरत है जिससे कि वह हर क्षेत्र में अपना खुद का फैसला ले सकें चाहे वो स्वयं, देश, परिवार या समाज किसी के लिए भी हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर लाने के साथ मनुष्य जीवन के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी साधन है, जिसकें माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि व व्यक्तित्व में निखार आता है। वह अपने व्यक्तित्व में समाहित गुणों के माध्यम से व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। साथ ही शिक्षा व्यक्ति का आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यों को सम्पन्न करने के योग्य बनाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस शिक्षा को ग्रहण कर मनुष्य राष्ट्र और समाज का उत्थान करे तथा इसके माध्यम से जीविकोपार्जन करे, इसी में शिक्षा की सार्थकता है। शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए कहा जाता है कि "यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाये तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित कर दिया जाये तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है" अर्थात् एक महिला का शिक्षित होना उसके पूरे परिवार की शिक्षा और कल्याण से जुड़ा है।

Copyright @ 2021 Authors

ISSN: 2278-4632
Vol-11 Issue-01 No.02 January 2021

निष्कर्षः

महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है और साथ ही यह समावेशी भागीदारी के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे परिवार एवं संगठन की खुशियों में वृद्धि होती है जहां महिलाओं का प्रभाव होता है। शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढाया जा सकता है, इस अध्ययन के निष्कर्षः के तौर पर यह सामने आता निम्न की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के स्तर और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के स्तर निम्न होने के कारण महिलाओं का पारिवारिक, सामाजिक विकास निम्न हुआ और महिला सशक्तिकरण का स्तर भी निम्न है जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा के स्तर उच्च होने के कारण महिलाओं का पारिवारिक, सामाजिक विकास उच्च हुआ और महिला सशक्तिकरण का स्तर भी उच्च है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महावर, सुनील , "भारत में महिला सशक्तिकरण विविध आयाम और चुनौतियां", आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर
2. शर्मा ,प्रज्ञा , "महिला विकास और सशक्तिकरण" आविष्कार पब्लिकेशन ,जयपुर
3. कटारिया ,कमलेश, " नारी जीवनः वैदिक काल से आज तक" यूनिक ट्रेडर्स ,जयपुर
4. डॉ. बिष्ट,दीपा , "नारी सशक्तिकरण के सोपान" अंकित प्रकाशन,दिल्ली
5. रूद्रदत्त ,सुंदरम , "भारतीय अर्थव्यवस्था",सुल्तान चंद्र एंड कंपनी, नई दिल्ली
6. तिवारी, आर.पी., शुक्ला ,डी.पी., " भारतीय नारी वर्तमान समस्याएं और समाधान" अंकित प्रकाशन, दिल्ली
7. धावन, हरिमोहन, अरुण कुमार, " महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज" रावत पब्लिकेशन, जयपुर
8. सिंह ,मेहता चेतन, " महिला एवं कानून", आविष्कार पब्लिकेशन, जयपुर
9. व्यास, डॉक्टर श्याम प्रसाद ,"युग –युगीन भारतीय नारी" राजस्थानी गंथाकार प्रकाशक, जोधपुर
10. प्रोफेसर प्रसाद कमला, " स्त्री मुक्ति का सपना" वाणी प्रकाशन, दिल्ली
11. राजकिशोर, " स्त्रीत्व का उत्सव"वाणी प्रकाशन, दिल्ली
12. खंडेला, प्रोफेसर मान चंद्र, " महिला और बदलता सामाजिक परिवेश" आविष्कार पब्लिकेशन ,जयपुर

Copyright @ 2021 Authors